संख्या- 455 /अड़तीस-7-2014-369एनआरईजीए/2008

प्रेषक,

अरूण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

2 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 25 फरवरी, 2014

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि के संबंध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2150/अडतीस-7-2013-369एनआरईजीए/2008 दिनांक: 16-07-2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए मनरेगा योजनान्तर्गत सोशल आडिट के लिए प्रशासनिक व्यय मद से अनुमन्य 01 प्रतिशत धनराशि को घटाते हुए 0.5 प्रतिशत अनुमन्य की जाती है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

2- प्रशासनिक व्यय मद के संबंध में निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक: 16-07-2013 को कृपया इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय

(अरूण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

संख्या- (1)/अड़तीस-7-2014 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3. रोजगार गारण्टी आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।
4. निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त मण्डलायुक्त , उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग ।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।